संख्या-7/2022/आई/143117/2022/फा0नं0-68-4002(003)/1/2021-4

प्रेषक,

धर्मेन्द्र मिश्र,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,

उ0प्र0 लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः **25** फरवरी, 2022

विषयः- फ्लैक्सी फण्ड के अन्तर्गत "अतिरिक्त फल" दिये जाने हेतु आय-व्ययक 2021-22 के अनुदान संख्या-71 में वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-म0भो0प्रा0/2097/2021-22 दिनांक 24.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में फ्लैक्सी फण्ड के अन्तर्गत अनुदान संख्या-**71** के लेखाशीर्ष **2202**-सामान्य शिक्षा-**01**-प्रारम्भिक शिक्षा-**112** विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-**01**-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-**0103** कुकिंग लागत आदि (के.**60**/रा.**40**-के+रा)- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 'सप्लीमेन्ट्री न्यूट्रिशन' मद में रू0 892.94 लाख (केन्द्रांश रू0 535.76 लाख व राज्यांश रू0 357.18 लाख/रूपये आठ करोड़ बानबे लाख चौरानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में S.N.A. तथा IA's के द्वारा P.F.M.S. के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही आहरित की जाएगी|

(2) धनराशि की लेखों की रख-रखाव की समस्त कार्यवाही संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा व्यय की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तर्गत निदेशक,

–2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग उसी कार्य/मद में किया जाएगा जिस कार्य/मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा|

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं अन्य सुसंगत शासनादेश/दिशा-निर्देश में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का प्रतिबद्धता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा|

(5) योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार ही धनराशि का व्यय आवश्यकता के अनुसार ही किया जाएगा।

(6) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) प्रश्नगत प्रकरण के संदर्भ में सुसंगत नियमों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाक घर में नहीं रखी जाएगी|

2- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2021-22** के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-**71** के लेखाशीर्ष **2202**-सामान्य शिक्षा-**01**-प्रारम्भिक शिक्षा-**112**-विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम-**01**-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-**0103**-कुकिंग लागत आदि (के.**60**/रा.**40**-के**+**रा)-**20**-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**11** के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-ई-11-3467-दस-2021-22, दिनांक 18 फरवरी,2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

धर्मेन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

-3/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ
3. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
8. समस्त वित्त एंव लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0।
9. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1/वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-11।
10. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण उ0प्र0 शासन।
11. अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
धर्मेन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।